सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 307/2018

रामचन्द्र पुत्र रामदेव कौम बैरवा निवासी लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी

-----अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम

पीठासीन अधिकारी : श्री शंकरलाल सैनी (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 18.01.2019

पत्रावली न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम लसाडिया** तहसील **केकडी** की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में खाता संख्या 306 के खसरा नम्बर 316 रकबा 0.32 है. रामचन्द्र पुत्र रामदेव कोम बैरवा **के स्थान पर** रायचन्द्र पुत्र रामदेव कौम बैरवा दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । तहसीलदार केकडी, भू.अभि.निरी. ,पटवारी हल्का **लसाडिया** की रिपोर्ट पेश हुयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम लसाडिया** तहसील **केकडी** की जमाबन्दी सम्वत 2061–64 के खसरा नम्बर 316 छोगा वल्द कल्याण कौम चमार सा.देह के नाम दर्ज होकर जर्ये विक्रय पत्र नामान्तकरण स. 275 दिनांक 6.6.05 से रायचन्द्र पुत्र रामदेव कौम बैरवा का नाम दर्ज हुआ है। अतः वर्तमान जमाबन्दी में भी उक्त नामान्तरण के आधार पर रायचन्द्र पुत्र रामदेव बैरवा सा.देह राहिन केकडी भूमि विकास बैंक केकडी के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। उभयपक्षो को सुना गया। संलग्न तहसीलदार ,भू.अभि.निरी.,पटवारी रिपोर्ट एव दस्तावेज के अवलोकन बाद उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात **ग्राम लसाडिया** तहसील **केकडी** की जमाबन्दी सम्वत 2061–64 के खसरा नम्बर 316 छोगा वल्द कल्याण कौम चमार सा.देह के नाम दर्ज होकर जर्ये विक्रय पत्र नामान्तकरण स. 275 दिनांक 6.6.05 से रायचन्द्र पुत्र रामदेव कौम बैरवा का नाम दर्ज हुआ है। अतः वर्तमान जमाबन्दी में भी उक्त नामान्तरण के आधार पर रामचन्द्र पुत्र रामदेव के स्थान पर रायचन्द्र पुत्र रामदेव बैरवा सा.देह के नाम का अंकन दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है । वर्तमान राहिन के.स.भू.वि.बैंक के नाम यथावत है।

तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया व निर्णय शामिल पत्रावली किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible]
केकडी [illegible]